रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235414
CG-DL-E-28042022-235414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944
No. 309] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

सं. 2/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 323(अ).— जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत आती है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 04/10/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि :-

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके 'सब्सिडाइज्ड' मूल्य पर किया गया था।

(ii) विषयगत वस्तु के 'सब्सिडाइज्ड' होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के 'सब्सिडाइज्ड' आयात के कारण हुई है।

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) में उल्लिखित दर से परिगणित 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	*विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	74112100, 74112200, 74112900 और 74111000	कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मेसर्स मेटट्यूब एसडीएन बीएचडी (मलेशिया) (उत्पादक) और मेसर्स मेटट्यूब इंटरनेशनल एसडीएन बीएचडी (मलेशिया) (निर्यातक)	5.31
2.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी अन्य उत्पादक	11.53
3.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया से भिन्न कोई भी अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	11.53
4.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	NIL
5.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मैसर्स लॉयल हैलियांग कॉपर (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	NIL
6.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स फाइन मेटल टेक्नोलॉजीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड	6.16
7.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 4, 5 और 6 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी अन्य उत्पादक	7.57
8.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड से भिन्न कोई भी अन्य देश	थाईलैंड	कोई भी	7.57
9.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	मेसर्स जिंटियन कॉपर इंडस्ट्रियल (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	2.13

10.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	मैसर्स हैलियांग (वियतनाम) कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	**2.30**
11.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	मेसर्स तोन फाट कॉपर ट्यूब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	**6.81**
12.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 9, 10 और 11 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी अन्य उत्पादक	**14.76**
13.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम से भिन्न कोई भी अन्य देश	वियतनाम	कोई भी	**14.76**

*ग्रूव्ड किए हुए कॉपर ट्यूब्स को विवरण से बाहर रखा गया है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(1) 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

(2) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/184/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

No. 2/2022-Customs (CVD)

G.S.R. 323(E).—Whereas, in the matter concerning imports of "Copper Tubes and Pipes" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00, and 7411 29 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 04/10/2020-DGTR, dated the 31st January, 2022 has come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject countries at subsidized prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the subject goods;

(iii) the material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries;

and has recommended the imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty calculated at the rate mentioned in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff Item**	**Description***	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer**	**Duty Amount as % of CIF value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	74112100, 74112200, 74112900 and 74111000	Copper Tubes and Pipes	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s. Mettube SDN BHD (Malaysia) (Producer) and M/s. MetTube International Sdn Bhd (Malaysia) (Exporter)	5.31
2.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than the producer mentioned in Sl.No. 1 above	11.53
3.	-do-	-do-	Any country other than Malaysia	Malaysia	Any	11.53
4.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s. Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd	NIL
5.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s. Loyal Hailiang Copper (Thailand) Company Limited	NIL
6.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s. Fine Metal Technologies Public Company Limited	6.16
7.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than the producer mentioned in Sl.No. 4, 5 and 6 above	7.57
8.	-do-	-do-	Any country other than Thailand	Thailand	Any	7.57
9.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	M/s. Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited	2.13

10.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	M/s. Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Company Limited	2.30
11.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	M/s. Toan Phat Copper Tube Joint Stock Company	6.81
12.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than the producer mentioned in Sl.No. 9, 10 and 11	14.76
13.	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any	14.76

** Internally Grooved Copper Tubes are excluded from the product description*

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, -

(a) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. CBIC-190354/184/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2022.04.28 21:51:10 +05'30'